

पत्रांक:- 735  
सेवा में,

/18mg

दिनांक:- 12/5/2020

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,  
वन संरक्षण इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:- जनपद नैनीताल में राज्य योजना के अन्तर्गत प्यूडा इण्टर कालेज से कूल-बिरखन एवं कूल-बिरखन-सूड मोटर मार्ग के विस्तार हेतु 1.458 हेक्टेयर वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन (FP/UK/ROAD/34350/2018 )  
संदर्भ:- भारत सरकार के पत्रांक 8बी0/यू0सी0पी0/06/67/2019/एफ0सी0/2492/दिनांक 07.02.2020 एवं आन लाईन प्राप्त ई0डी0एस0 दिनांक 03.03.2020

महोदय,  
उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के अनुपालन में आपको अवगत कराया जाना है कि भारत सरकार के पूर्व पत्र दिनांक 25.10.2019 द्वारा चाही गयी सूचना आपसे बिन्दुवार उत्तर प्रस्तुत करने हेतु संदर्भित पत्र द्वारा लिखा गया है। महोदय भारत सरकार के पूर्व पत्र दिनांक 25.10.2019 के अनुपालन में इस कार्यालय के पत्रांक 2731/18एम0जी0 दिनांक 09.12.2019 द्वारा बिन्दुवार प्रतिउत्तर प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल को प्रेषित कर पत्र की प्रति आपके कार्यालय एवं भारत सरकार, कैम्प कार्यालय देहरादून एवं अपर मुख्य सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को प्रेषित की गयी है। प्रतिउत्तर की आख्या तत्समय ही आनलाईन भी अपलोड कर प्रेषित की गयी है। (सुलभ संदर्भ हेतु पत्र की प्रति संलग्न है) प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल ने अपने पत्रांक 2256/13-कूल-बिरखन दिनांक 27.12.2019 द्वारा बिन्दुवार प्रतिउत्तर वन संरक्षक, दक्षिणी कुमायूँ वृत्त, उत्तराखण्ड, नैनीताल को प्रेषित करते हुए आपके कार्यालय को एवं इस कार्यालय को पत्र की प्रति पृष्ठांकित की गयी है। (सुलभ संदर्भ हेतु पत्र की छाया प्रति संलग्न है)  
अतः आपसे अनुरोध है कि पुनः संलग्न इस कार्यालय के पत्र दिनांक 09.12.2019 एवं प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल के पत्र दिनांक 27.12.2019 के अनुसार बिन्दुवार प्रतिउत्तर पर अपने स्तर से भारत सरकार को शीघ्र प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि मार्ग के वनभूमि हस्तान्तरण की शीघ्र स्वीकृति प्राप्त कर जनहित में मार्ग निर्माण की कार्यवाही की जा सके।

आदर सहित !

संलग्न:- उपरोक्तानुसार 2 पत्रों की प्रति।

भवदीय

12/05/2020  
(इं. धन सिंह कुटियाल)  
अधिशासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग  
नैनीताल।

पत्रांक:-

दिनांक:-

प्रतिलिपि भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि अपर मुख्य सचिव (वन) उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

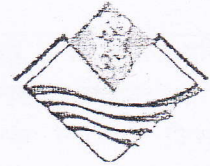
प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0  
नैनीताल।





कार्यालय अधिशासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग  
नैनीताल।



☎ : 05942 - 235079, 233764 Fax, 235079, Email: eecdnnainitalpwd@rediffmail.com

पत्रांक:- ~~2731~~ 2731 / 18 May

दिनांक:- 9/12/19

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,  
नैनीताल वन प्रभाग,  
नैनीताल।

विषय:- जनपद नैनीताल में राज्य योजना के अन्तर्गत प्यूडा इण्टर कालेज से कूल-बिरखन- सूड मोटर मार्ग का विस्तार हेतु 1.458 हैक्टेयर भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (FP/UK/ROAD/34350/2018)

संदर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र) 25 सुभाष रोड देहरादून के पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06/67/2019/एफ0सी0/1706 दिनांक 25.10.2019 एवं आन लाईन ई0डी0एस0 दिनांक

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रस्ताव में लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण बिन्दुवार तैयार कर हार्ड प्रतियों में आपको प्रेषित करते हुए आन लाईन कर निम्नानुसार प्रेषित किया जा रहा है।

| क्र०स० | बिन्दु                                                                                                                                                                                     | उत्तरालेख                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | राज्य सरकार द्वारा पूर्व प्रस्ताव संख्या 8187 के संबंध में कोई टीप प्रस्तुत नहीं की गयी है। अतः राज्य सरकार इस प्रकरण में अपनी स्पष्ट टीप इस कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।    | इस संबंध में विस्तृत विवरण इस कार्यालय के पत्रांक 2719/18एम0जी0 दिनांक 04.09.2019, 2411/18एम0जी0 दिनांक 07.08.2018 एवं पत्रांक 1483/18एम0जी0 दिनांक 28.05.2018 द्वारा अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी देहरादून को अवगत कराया जा चुका है। सुलभ संदर्भ हेतु वर्णित पत्रों की छाया प्रति संलग्न की जा रही है। |
| 2      | In reply to point No. 01 the total tree in forest land are 374 out of which 109 in 0-10 dia. State Government may upload trees details of 374 trees online at para -4 (ii) online part-II. | महोदय भारत सरकार द्वारा 0-10 ब्यास वाले 109 शेष वृक्षों को आन लाईन फार्म-ए के पार्ट-2, के पैरा-4 (ii) में वनभूमि में प्रभावित कुल 374 वृक्षों का विवरण उक्त फार्म-ए में आन लाईन अंकित करने संबंधित कार्यवाही आपके स्तर से की जानी है, कृपया इसे अपने स्तर से आन लाईन अपलोड करने की कृपा करें।                     |
| 3      | Reply to point No-3 (Employment likely to generate during the construction of project seems incorrect. State Government may provide the correct detail at para E, part I online.)          | महोदय आपको अवगत कराया जाना है कि इस परियोजना के निर्माण हेतु 176.20 लाख मात्र की स्वीकृति प्राप्त हुई है। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष 30 प्रतिशत रू0 52.86 लाख मात्र का प्राविधान अस्थाई श्रमिकों के रोजगार हेतु रखा गया है। इस प्रकार परियोजना के निर्माण में रू0 52.86 लाख के सापेक्ष 30                          |



|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>प्रतिशत रू0 15.858 लाख मात्र अति कुशल श्रमिकों एवं 70 प्रतिशत रू0 37.002 लाख अकुशल श्रमिकों को रोजगार देते हुए कार्य कराया जायेगा। जिसमें अति कुशल श्रमिकों हेतु रू0 505.00 प्रति दिन एवं अकुशल श्रमिकों हेतु रू0 316.00 प्रति दिन की दर से वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु दरें निर्धारित हैं, जिसके अनुसार अति कुशल (मैशन) श्रमिक की संख्या 3140 एवं अकुशल(मजदूर) श्रमिक की संख्या 11709 इस प्रकार कुल श्रमिकों की संख्या 14849 मात्र आती है, जिन्हें इस परियोजना से अस्थायी रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा। जिसका विवरण आन लाईन फार्म-ए के पार्ट-1, पैरा-ई में अंकित कर दिया गया है।</p> |
|   | <p>Reply to Point No-4 (State Government may submit original hard copy of digital map of proposed road &amp; CA, ownership proof of CA. CF report, detailed note and NPV calculation sheet. )</p>                                                                                                                                                   | <p>इस बिन्दु के क्रम में आपको वांछित प्रपत्र चार-चार हार्ड प्रतियों में तैयार कर संलग्न करते हुए आपको इस कार्यालय के पत्रांक 1708/18एम0जी0 दिनांक 25.07. 2019 द्वारा पूर्व में ही प्रेषित की जा चुकी है। सुलभ संदर्भ हेतु पुनः डिजिटल मैप प्रपोज रोड एण्ड सी0ए0 की एक हार्ड प्रति, ownership proof of CA की एक हार्ड प्रति एवं NPV calculation sheet की एक हार्ड प्रति संलग्न करते हुए प्रेषित है, तथा आपसे अनुरोध है कि CF report, detailed की प्रति आपके पास यदि मूल में है तो कृपया उक्तानुसार प्रकरण में अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।</p>                    |
|   | <p>Reply Point No-5 (Muck Disposal plan found incomplete. State Government may submit the complete muck disposal plan.)</p>                                                                                                                                                                                                                         | <p>इस बिन्दु के क्रम में आपको वांछित प्रपत्र चार-चार हार्ड प्रतियों में तैयार कर संलग्न करते हुए आपको इस कार्यालय के पत्रांक 1708/18एम0जी0 दिनांक 25.07. 2019 द्वारा पूर्व में ही प्रेषित की जा चुकी है। सुलभ संदर्भ हेतु पुनः एक-एक हार्ड प्रति में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4 | <p>In reply to point no 06 following observation noticed:-<br/>(i)The Village Satkhol and Gatoli are connected and requested for approval to connect village Kabhda (60),Nigard (55), Suid(110) and Birkhan (66) . All habitation seems connecting from point 1-7 as per digital map and construction from 7-30 seems for another connectivity.</p> | <p>मार्ग के समरेखण का तैयार जियो रिफरेंस मैप के बिन्दु सं0 7 पर ग्राम बिरखन (66), बिन्दु सं0 14 पर ग्राम निगराड(55), बिन्दु सं0 17 सूड(110), बिन्दु सं0 27 पर ग्राम खभराड(60) एवं बिन्दु सं0 29 से 30 में प्यूड़ा इण्टर कालेज स्थित है। प्यूड़ा इण्टर कालेज ग्राम बिरखन, सूड, निगराड तथा खभराड के ग्रामीणों के लिए एक मात्र इण्टर कालेज है, जिसमें अधिकांश बच्चे उक्त ग्रामों के अध्ययनरत हैं। अतः व्यापक जनहित में इस मोटर मार्ग की आवश्यकता है।</p>                                                                                                                                |
|   | <p>(ii) In Justification mentioned that 3 km road in Nap land has already been constructed however length in nap land as per lad schedule in only 2.380 mtr. .It seems that road is already constructed in some part of forest land also.</p>                                                                                                       | <p>जनपद नैनीताल में कूल-बिरखन-सूड मोटर मार्ग लम्बाई 4.00 किमी0 हेतु शासनादेश सं0 63/111-(2) /06-91(प्रा0आ0)/05 दिनांक 16.01.2006 द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति रू0 71.20 लाख मात्र की प्राप्त है। मार्ग के किमी0 1 से 3 लम्बाई 3.00</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>किमी० में वृक्ष रहित केवल नापभूमि स्थित होने के कारण उक्त भूमि में मार्ग निर्माण का कार्य पूर्व में ही पूर्ण किया जा चुका है। उक्त मोटर मार्ग के अंतिम बिन्दु से (किमी० 4) लक्ष्मीखान-तल्ला रामगढ़- नथुवाखान- प्यूड़ा-क्वारब मोटर मार्ग (प्रमुख जिला मार्ग) के किमी० 26 में स्थित प्यूड़ा को जोड़ने हेतु प्यूड़ा इण्टर कालेज से कूल-बिरखन-सूड़ मोटर मार्ग (मिसिंग लिंक) लम्बाई 3.00 किमी० के निर्माण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं० 547/111(2)/09-44(प्रा०आ०)/08 दिनांक 11.02.2009 द्वारा रु० 105.00 लाख मात्र की प्राप्त है। इस प्रकार उक्त दोनों मोटर मार्ग की स्वीकृत लम्बाई 7.00 किमी० है। जिसमें प्रथम मोटर मार्ग के प्रथम 3.00 किमी० में लम्बाई में वृक्ष रहित नापभूमि होने के कारण व्यापक जनहित में मार्ग का निर्माण पूर्व में ही किया जा चुका है। कूल-बिरखन-सूड़ मोटर मार्ग की अवशेष लम्बाई 1.00 किमी० तथा प्यूड़ा इण्टर कालेज से कूल-बिरखन-सूड़ (मिसिंग लिंक)मोटर मार्ग की लम्बाई 3.00 किमी० कुल 4.00 किमी० विभिन्न स्थान में वनभूमि होने के कारण मोटर मार्ग स्थित वनभूमि के हस्तान्तरण हेतु समेकित वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव <math>1.00+3.00 = 4.00</math> किमी. लम्बाई में तैयार किया गया है। अवशेष 4.00 किमी० लम्बाई की विभिन्न रीचों में निम्नानुसार वनभूमि स्थित होने के कारण मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण आवश्यक था। वनभूमि हस्तान्तरण हेतु तैयार लैण्ड शैड्यूल के अनुसार भूमि का विवरण इस प्रकार है। आरक्षित वनभूमि 580 मीटर, वन-पंचायत की भूमि 190 मीटर, सिविल सोयम भूमि 850 मीटर तथा नापभूमि 2380 मीटर इस प्रकार कुल 4000 मीटर लम्बाई ।</p> |
| <p>(iii) लाभान्वित ग्रामों को के०एम०एल० फाईल पर नहीं दर्शाया गया है। साथ ही उपलब्ध कच्चे मार्ग से Alternate route बनाये जाने पर विचार नहीं किया गया है। अतः राज्य सरकार लाभान्वित होने वाले ग्रामों की लोकेशन को के०एम०एल० फाईल पर अंकित कर प्रस्तुत करें।</p> | <p>के०एम०एल० फाईल बनाकर आन लाईन अपलोड करते हुए मय सी०डी० आपको संलग्न कर प्रेषित है। उपलब्ध कच्चे मार्ग का दावा मोटर मार्ग की विशिष्टियों के अनुरूप नहीं होने के कारण विचार नहीं किया गया है। इस संबंध में भू-वैज्ञानिक द्वारा भी समरेखण का अवलोकन के समय कच्चे मार्ग को मार्ग निर्माण हेतु उपयुक्त नहीं माना ।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>(iv) राज्य सरकार पूर्व से निर्मित मार्ग के संबंध में Violation report प्रस्तुत करें, तथा जिम्मेदारली निर्धारित कर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।</p>                                                                                                 | <p>आवेदित प्रस्तावित भूमि में अभी तक कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया गया है। अतः Violation report की आवश्यकता नहीं है। कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण पत्र पूर्व में हार्ड कापी के साथ प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 63 पर चस्पा है। सुलभ संदर्भ हेतु उक्त की प्रति पुनः संलग्न कर प्रेषित है।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



|                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (v) प्रस्तावित मार्ग का औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अतः राज्य सरकार इस संबंध में विस्तृत Justification प्रस्तुत करें। | प्रस्तावित मार्ग से सीधे ग्राम बिरखन, सूड, निगराड तथा खभराड के ग्रामीण लाभान्वित होंगे। इन ग्रामों का इस क्षेत्र में एक मात्र इण्टर कालेज प्यूडा इटर कालेज ही है, जिसमें इन ग्रामों के अधिकांश बच्चे यहां अध्ययनरत हैं। उक्त के अतिरिक्त यह भी अवत कराया जाना है कि यह मार्ग राष्ट्रीय राज्य मार्ग सं० ८७ के अवरुद्ध होने की स्थिति में अल्मोड़ा और हल्द्वानी की ओर जाने वाले वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग के रूप में प्रयोग किया जा सकेगा। अतः व्यापक जनहित में इस मोटर मार्ग के निर्माण की आवश्यकता है। |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त प्रकरण पर अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करते हुए संलग्न हार्ड प्रतियों को उच्चाधिकारियों को प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि वनभूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति प्राप्त हो सके।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार है।

भवदीय  
09/12/19  
(इ. धन सिंह कुटियाल)  
अधिशिप्सी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०  
नैनीताल

पत्रांक:- 2731

18mg

दिनांक:- 9/12/19

प्रतिलिपि तकनीकी अधिकारी, भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालीय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र) 25 सुभाष रोड देहरादून को उनके उक्त संदर्भित पत्र के अनुपालन में उपरोक्तानुसार प्रपत्रों की एक-एक हार्ड प्रतियां मय सी०डी० सहित संलग्न कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि अपर मुख्य सचिव(वन) उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि अपर प्रमुख वन संरक्षक, एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षक, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

09/12/19  
अधिशिप्सी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०  
नैनीताल



# कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।

E-mail:dfonainital@gmail.com

Telefax.05942-236790

पत्रांक:-

/ 13-कूल विखन दिनांक 24/12/2019

सेवा में,

वन संरक्षक,  
दक्षिणी कुमाँऊ वृत्त,  
उत्तराखण्ड, नैनीताल।

प्राप्त सं० 56  
फाईल सं० 18mg  
दिनांक 04-01-2020

विषय :-

जनपद नैनीताल में राज्य योजना के अन्तर्गत प्यूडा इण्टर कॉलेज से कूल-बिरखन-सूड़ मोटर मार्ग का विस्तार हेतु 1.458 हैक्टेयर भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन (FP/UK/ROAD/34350/2018)

संदर्भ :-

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र) 25 सुभाष रोड़ देहरादून के पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06/67/2019/एफ0सी0/1706 दिनांक 25.10.2019 तथा अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, नैनीताल का पत्रांक 2731/18 एम0जी0 दिनांक 09.12.2019

महोदया,

विषयगत प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/34350/2018 में भारत सरकार द्वारा लगाई गई आपत्तियों का निराकरण प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा निम्न प्रकार कर लिया गया है-

| S.N. | EDS                                                                                                                                                                                      | REPLY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | राज्य सरकार द्वारा पूर्व प्रस्ताव संख्या 8187 के संबंध में कोई टीप प्रस्तुत नहीं की गयी है। अतः राज्य सरकार इस प्रकरण में अपनी स्पष्ट टीप इस कार्यालय को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।   | प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अपने पत्रांक 2719/18एम0जी0 दिनांक 04.09.2019, 2411/18एम0जी0 दिनांक 07.08.2018 एवं पत्रांक 1483/18 एम0जी0 दिनांक 25.05.2018 को अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, देहरादून को उपलब्ध कराया जा चुका है। सुलभ संदर्भ हेतु वर्णित पत्रों की छायाप्रति संलग्न की रही है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2    | In reply to point No. 01 the total tree in forest land are 374 out of which 109 in 0-10 dia. State Government may upload trees details of 374 trees online at para-4 (ii) online part-II | भाग 2 पैरा 4 (ii) में 0-10 सेमी0 व्यास के वृक्षों को भी ऑन लाईन अपलोड कर दिया गया है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3    | Reply to point No-3 (Employment likely to generate during the construction of project seems incorrect. State Government may provide the correct detail at para E, part I online.)        | प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत करया गया कि इस परियोजना के निर्माण हेतु 176.20 लाख मात्र की स्वीकृति प्राप्त हुई है। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष 30 प्रतिशत रू0 52.86 लाख मात्र का प्राविधान अस्थाई श्रमिकों के रोजगार हेतु रखा गया है। इस प्रकार परियोजना के निर्माण में रू0 52.86 लाख के सापेक्ष 30 प्रतिशत रू0 15.858 लाख मात्र अति कुशल श्रमिकों एवं 70 प्रतिशत रू0 37.002 लाख अकुशल श्रमिकों को रोजगार देते हुए कार्य कराया जायेगा। जिसमें अति कुशल श्रमिकों हेतु रू0 505.00 प्रति दिन एवं अकुशल श्रमिकों हेतु रू0 316.00 प्रति दिन की दर से वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु दरें निर्धारित हैं, जिसके अनुसार अति कुशल (मैशन) श्रमिक की संख्या 3140 एवं अकुशल (मजदूर) श्रमिक की संख्या 11709 इस प्रकार कुल श्रमिकों की संख्या 14879 मात्र आती है, जिन्हें इस परियोजना में अस्थाई रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा। जिका विवरण आन लाईन फार्म-ए के पार्ट-1, पैरा-ई में अंकित कर दिया गया है। |
|      | Reply to point No-4 (State Government may submit original hard copy of digital map of proposed road & CA, ownership proof of CA.                                                         | प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा डिजिटल मैप प्रपोज रोड एण्ड सी0ए0 की एक हार्ड प्रति, ownership proof of CA की एक हार्ड प्रति एवं NPV calculation sheet अपलोड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | CF report, detailed note and NPV calculation sheet)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | कर दिया गया है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | Reply to point No-5 (Muck Disposal plan found incomplete. State Government may submit the complete muck disposal plan.)                                                                                                                                                                                                                   | प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अपने पत्रांक 1708/18एम0जी0 दिनांक 25.07.2019 द्वारा पूर्व में ही प्रेषित की जा चुकी है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4 | Reply to point No-6 following observation noticed :-<br>(i) The village Satkhol and Gatoli are connected and requested for approval to connect village kabhda (60), Nigard (55), Suid(110) and Birkhan (66). All habitation seems connectiong from point 1-7 as per digital map and construcion from 7-30 seems for another connectivity. | प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया है कि मार्ग के समरेखण तैयार जियो रिफरेन्स मैप के बिन्दु सं० 7 पर ग्राम बिरखन (66), बिन्दु सं० 14 पर ग्राम निगराड(55), बिन्दु सं० 17 सूड़(110), बिन्दु सं० 27 पर ग्राम खभराड(60) एवं बिन्दु सं० 29 से 30 में प्यूड़ा इण्टर कालेज स्थित है। प्यूड़ इण्टर कालेज ग्राम बिरखन, सूड़, निगराड तथा खभराड के ग्रामीणों के लिए ऐ मात्र इण्टर कालेज है, जिसमें अधिकांश बच्चे उक्त ग्रामों के अध्ययनरत हैं। अतः व्यापक जनहित में इस मोटर मार्ग की आवश्यकता है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | (ii) In Justification mentioned that 3 km road in Nap land has already been constructed however length in nap land as per land schedule in only 2.380 mtr. It seems that road is already constructed in some part of forest land also.                                                                                                    | प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद नैनीताल में कूल-बिरखन-सूड़ मोटर मार्ग लम्बाई 4.00 किमी० हेतु शासनादेश सं० 63/111-(2)/ 06-91 (प्रा०आ०)/05 दिनांक 16.01.2006 द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति रु० 71.20 लाख मात्र की प्राप्त है। मार्ग के किमी० 1 से 3 लम्बाई 3.00 किमी० में वृक्ष रहित केवल नापभूमि स्थित होने के कारण उक्त भूमि में मार्ग निर्माण का कार्य पूर्व में ही पूर्ण किया जा चुका है। उक्त मोटर मार्ग के अंतिम बिन्दु से (किमी० 4) लक्ष्मीखान-तल्ला रामगढ़-नथुवाखान-प्यूड़ा-क्वारब मोटर मार्ग (प्रमुख जिला मार्ग) के किमी० 26 में स्थित प्यूड़ा को जोड़ने हेतु प्यूड़ा इण्टर कालेज से कूल-बिरखन-सूड़ मोटर मार्ग (मिसिंग लिंक) लम्बाई 3.00 किमी० के निर्माण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं० 547/117(2)/09-44 (प्रा०आ०)/08 दिनांक 11.02.2009 द्वारा रु० 105.00 लाख मात्र की प्राप्त है। इस प्रकार उक्त दोनों मोटर मार्ग की स्वीकृति लम्बाई 7.00 किमी० है। जिसमें प्रथम मोटर मार्ग के प्रथम 3.00 किमी० में लम्बाई में वृक्ष रहित नापभूमि होने के कारण व्यापक जनहित में मार्ग का निर्माण पूर्व में ही किया जा चुका है। कूल-बिरखन-सूड़ मोटर मार्ग की अवशेष लम्बाई 1.00 किमी० तथा प्यूड़ा इण्टर कालेज से कूल-बिरखन-सूड़ (मिसिंग लिंक) मोटर मार्ग की लम्बाई 3.00 किमी कुल 4.00 किमी० विभिन्न स्थान में वनभूमि होने के कारण मोटर मार्ग स्थित वनभूमि के हस्तारण हेतु समेकित वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव 1.00+3.00=4.00 किमी० लम्बाई में तैयार किया गया है। अवशेष 4.00 किमी० लम्बाई की विभिन्न रीछों में निम्नानुसार वनभूमि स्थित होने के कारण मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण आवश्यक था। वनभूमि हस्तान्तरण हेतु तैयार लैण्ड शैडयूल के अनुसार भूमि का विवरण इस प्रकार है। आरक्षित वनभूमि 580मी०, वन पंचायत की भूमि 190 मी०, सिविल सोयम भूमि 850 मी० तथा नापभूमि 2380 मी० इस प्रकार कुल 4000 मीटर लम्बाई। |
|   | (iii) लाभान्वित ग्रामों की के०एम०एल० फाईल पर नहीं दर्शाया गया हैं। साथ ही उपलब्ध कच्चे मार्ग से Alternate route                                                                                                                                                                                                                           | प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा के०एम०एल० फाईल ऑन लाईन अपलोड कर दी गई है। यह भी अवगत कराया गया कि उपलब्ध कच्चे मार्ग का दावा मोटर मार्ग की विशिष्टियों                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| बनाये जाने पर विचार नहीं किया गया है। अतः राज्य सरकार लाभान्वित होने वाले ग्रामों की लोकेशन को के0एम0एल0 फाईल पर अंकित कर प्रस्तुत करें।                | के अनुरूप नहीं होने के कारण विचार नहीं किया गया है। इस संबंध में भू-वैज्ञानिक द्वारा भी समरेखण का अवलोकन के समय कच्चे मार्ग को मार्ग निर्माण हेतु उपयुक्त नहीं माना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (iv) राज्य सरकार पूर्व से निर्मित मार्ग के संबंध में Violation report प्रस्तुत करें, तथा जिम्मेदारली निर्धारित कर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। | आवेदित प्रस्तावित भूमि में अभी तक कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया गया है। अतः Violation report की आवश्यकता नहीं है। कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण पत्र पूर्व में हार्ड कापी के साथ प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 63 पर चस्पा है। सुलभ संदर्भ हेतु उक्त की प्रति पुनः संलग्न कर प्रेषित है।                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (v) प्रस्तावित मार्ग का औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अतः राज्य सरकार इस संबंध में विस्तृत justification प्रस्तुत करें।                                   | प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित मार्ग से सीधे ग्राम बिरखन, सूड़, निगराड़ तथा खभराड़ के ग्रामीण लाभान्वित होंगे। इन ग्रामों को इस क्षेत्र में एक मात्र इण्टर कालेज प्यूड़ा इण्टर कालेज ही है, जिसमें इन ग्रामों के अधिकांश बच्चे यहां अध्ययनरत हैं। उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराया गया है कि यह मार्ग राष्ट्रीय राज्य मार्ग सं0 87 के अवरुद्ध होने की स्थिति में अल्मोड़ा और हल्द्वानी की ओर जाने वाले वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग के रूप में प्रयोग किया जा सकेगा। अतः व्यापक जनहित में इस मोटर मार्ग के निर्माण की आवश्यकता है। |

अधिशाली अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 नैनीताल द्वारा प्रेषित किये गये पत्र की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक :- यथोपरि।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,  
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।

पत्रांक :- 2256 / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि अधिशाली अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 नैनीताल को उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

R.N. 56 / 18 mg दि 06 / 11 / 2020

*Asst. Engineer*

*06/11/2020*

प्रभागीय वनाधिकारी,  
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।